



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232737
CG-DL-E-19012022-232737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]
No. 229]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2022

का.आ. 233(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1794 (अ), तारीख 6 मई, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के रोहतास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 (नासरीगंज-बिक्रमगंज सेक्शन) के कि.मी. 181.465 से कि.मी. 201.665 तक सड़क के निर्माण (पेड सोल्डर के साथ 2 लेन बनाया जाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के रोहतास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 (नासरीगंज-बिक्रमगंज सेक्शन) के कि.मी. 181.465 से कि.मी. 201.665 तक सड़क के निर्माण (पेड सोल्डर के साथ 2 लेन बनाया जाना आदि), के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: रोहतास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: काराकाट					
गांव का नाम: बसडीहा 693					
1	525	निजी	अंश कृषि अंश आवासीय	0.2856000(हेक्टेयर)	0.2856000
2	526	निजी	कृषि	0.0603000 (हेक्टेयर)	0.0603000
3	529	निजी	कृषि	0.0891000 (हेक्टेयर)	0.0891000
4	530	निजी	कृषि	0.2740000 (हेक्टेयर)	0.2740000
5	531	निजी	कृषि	0.0278000 (हेक्टेयर)	0.0278000
6	533	निजी	कृषि	0.0148000 (हेक्टेयर)	0.0148000
7	534	निजी	कृषि	0.0334000 (हेक्टेयर)	0.0334000
8	535	निजी	कृषि	0.1228000 (हेक्टेयर)	0.1228000
9	536	निजी	कृषि	0.1128000 (हेक्टेयर)	0.1128000
10	537	निजी	कृषि	0.0267000 (हेक्टेयर)	0.0267000
11	538	निजी	कृषि	0.0422000 (हेक्टेयर)	0.0422000
12	539	निजी	कृषि	0.0162000 (हेक्टेयर)	0.0162000
13	540	निजी	कृषि	0.0004000 (हेक्टेयर)	0.0004000
14	578	निजी	कृषि	0.0195000 (हेक्टेयर)	0.0195000
15	579	निजी	कृषि	0.0603000 (हेक्टेयर)	0.0603000
16	580	निजी	कृषि	0.0696000 (हेक्टेयर)	0.0696000
17	581	सरकारी	सड़क	0.0009000 (हेक्टेयर)	0.0009000
18	582	सरकारी	सड़क	0.0278000 (हेक्टेयर)	0.0278000
19	583	निजी	कृषि	0.0241000 (हेक्टेयर)	0.0241000

20	584	सरकारी	सड़क	0.0117000 (हेक्टेयर)	0.0117000
21	585	निजी	कृषि	0.0353000 (हेक्टेयर)	0.0353000
22	586	निजी	कृषि	0.0552000 (हेक्टेयर)	0.0552000
23	587	निजी	कृषि	0.0167000 (हेक्टेयर)	0.0167000
24	592	निजी	कृषि	0.0004000 (हेक्टेयर)	0.0004000
25	593	निजी	कृषि	0.0513000 (हेक्टेयर)	0.0513000
26	614	निजी	कृषि	0.0092000 (हेक्टेयर)	0.0092000
तालुक का नाम: नसरीगंज					
गांव का नाम: बलिया					
1	1150	निजी	कृषि	0.1517000 (हेक्टेयर)	0.1517000
2	1151	निजी	कृषि	0.0372000 (हेक्टेयर)	0.0372000
3	1211	सरकारी	नहर	0.3717000 (हेक्टेयर)	0.3717000
4	1234	निजी	कृषि	0.1673000 (हेक्टेयर)	0.1673000
कुल				2.2160	2.2160

[फा. सं. RW/PAT/NH/120/GOH - DAUDNAGAR-NASRIGANJ - DAWAT – DUMRAON section/LA/2021/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2022

S.O. 233(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 1794(E), dated the 06 may 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building of National Highway No. 120 (Two Lane with Paved shoulder, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 120 (Nasriganj-Bikramganj section) in the stretch of land from Km. 181.465 to Km. 201.665 in the District of Rohtas in the state of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, with in twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority Cum District Land Acquisition Officer, Rohtas in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land Km. 181.465 to Km. 201.665 of the National Highway No. 120 (Nasriganj-Bikramganj section) in the district of Rohtas in the State of Bihar.

State: BIHAR		District: ROHTAS			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Karakat					
Village: Basdiha 693					
1	525	Private	Part Agriculture Part Residential	0.2856000(Hectare)	0.2856000
2	526	Private	Agriculture	0.0603000(Hectare)	0.0603000
3	529	Private	Agriculture	0.0891000(Hectare)	0.0891000
4	530	Private	Agriculture	0.2740000(Hectare)	0.2740000
5	531	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
6	533	Private	Agriculture	0.0148000(Hectare)	0.0148000
7	534	Private	Agriculture	0.0334000(Hectare)	0.0334000
8	535	Private	Agriculture	0.1228000(Hectare)	0.1228000
9	536	Private	Agriculture	0.1128000(Hectare)	0.1128000
10	537	Private	Agriculture	0.0267000(Hectare)	0.0267000
11	538	Private	Agriculture	0.0422000(Hectare)	0.0422000
12	539	Private	Agriculture	0.0162000(Hectare)	0.0162000
13	540	Private	Agriculture	0.0004000(Hectare)	0.0004000
14	578	Private	Agriculture	0.0195000(Hectare)	0.0195000
15	579	Private	Agriculture	0.0603000(Hectare)	0.0603000
16	580	Private	Agriculture	0.0696000(Hectare)	0.0696000
17	581	Government	Road	0.0009000(Hectare)	0.0009000
18	582	Government	Road	0.0278000(Hectare)	0.0278000
19	583	Private	Agriculture	0.0241000(Hectare)	0.0241000
20	584	Government	Road	0.0117000(Hectare)	0.0117000

21	585	Private	Agriculture	0.0353000(Hectare)	0.0353000
22	586	Private	Agriculture	0.0552000(Hectare)	0.0552000
23	587	Private	Agriculture	0.0167000(Hectare)	0.0167000
24	592	Private	Agriculture	0.0004000(Hectare)	0.0004000
25	593	Private	Agriculture	0.0513000(Hectare)	0.0513000
26	614	Private	Agriculture	0.0092000(Hectare)	0.0092000
Taluk: Nasariganj					
Village: Baliya					
1	1150	Private	Agriculture	0.1517000(Hectare)	0.1517000
2	1151	Private	Agriculture	0.0372000(Hectare)	0.0372000
3	1211	Government	Canal	0.3717000(Hectare)	0.3717000
4	1234	Private	Agriculture	0.1673000(Hectare)	0.1673000
Total				2.2160	2.2160

[F. No. RW/PAT/NH/120/GOH - DAUDNAGAR-NASRIGANJ - DAWAT – DUMRAON section/LA/2021/3A]

RAJESH GUPTA, Director